STA (Chemical)

If Departmental Promotion Committee exist, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of:- 1. Director (Administration), Central Ground Water Board – Chairman 2. Executive Engineer, Central Ground Water Board – Member 3. A Group 'A' Officer from another Central Government Department – Member **Group 'C' Departmental Confirmation Committee consisting of:-** 1. Director (Administration), Central Ground Water Board - Chairman 2. Executive Engineer, Central Ground Water Board – Member 3. Administrative Officer, Central Ground Water Board – Member	Not applicable.

[F. No. A.-31013/05/2017/CGWB]

A. K. WAHI, Under Secy.

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2018

सा.का.नि. 132.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय भूजल बोर्ड, ज्येष्ठ तकनीकी सहायक (रसायन), समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2011 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय भूजल बोर्ड, ज्येष्ठ तकनीकी सहायक (रसायन), भर्ती (संशोधन) नियम, 2018 हैं"

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

1. केन्द्रीय भूजल बोर्ड, ज्येष्ठ तकनीकी सहायक (रसायन), भर्ती नियम, 2011 में,-

(i) नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखें जाएंगे, अर्थात्:-

"2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं"।

(ii) अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्: -

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स मे स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
ज्येष्ठ तकनीकी सहायक (रसायन)	*24 (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स (रु. 44900) में स्तर—7

चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(5)	(6)
लागू नहीं होता	30 वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। **टिप्पण 1 :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम मेघालय अरुणाचल प्रदेश मिजोरम मणिपुर नागालैंण्ड त्रिपुरा सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है । **टिप्पण 2 :** रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
आवश्यक: किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन या कृषि रसायन या मृदा विज्ञान में मास्टर डिग्री । **टिप्पण:** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है । **वांछनीय :** मान्यताप्राप्त संस्थान या संगठन से भूमिगत जल विश्लेषण और भूमिगत जल रसायन में दो वर्ष का अनुभव।	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
(10)	(11)
सीधी भर्ती : (पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी पर एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी)।	लागू नहीं होता

प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी : (क) (i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर और विभाग में 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स (35400 रुपए) के स्तर 6 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की है; और (ख) जिसके पास स्तम्भ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है। **टिप्पण 1 :** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्त की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को वर्ष 56 से अधिक नहीं होगी ।	

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति जिसमे निम्नलिखित होंगे: 1. अध्यक्ष, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड — अध्यक्ष 2. निदेशक (प्रशासन), केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड — सदस्य 3. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में सम्बद्ध निदेशक या उप सचिव — सदस्य	सीधी भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

[फा. सं. ए-31012/07/2017/सीजीडबल्यूबी]

ए. के. वाही, अवर सचिव

पाद टिप्पणी : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 164, तारीख 28 मई, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

New Delhi, the 13th April, 2018

G.S.R. 132.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Central Ground Water Board, Senior Technical Assistant (Chemical), Group 'B' post, Recruitment Rules, 2011, namely:-

1. (1) These rules may be called the Central Ground Water Board, Senior Technical Assistant (Chemical) Recruitment (Amendment) Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Ground Water Board, Senior Technical Assistant (Chemical) Recruitment Rules, 2011,-

(i) for rule 2, the following shall be substituted, namely:-

"**2. Number of posts, classification and level in pay matrix.**—The number of said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.";

(ii) for the Schedule, the following shall be substituted, namely:-

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Senior Technical Assistant (Chemical)	24* (2017) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, (Group 'B'), non-Gazetted, non-Ministerial.	Level-7 in the pay matrix (Rs.44900).	Not applicable

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(6)	(7)
Not exceeding 30 years. (Relaxable for Governent servants upto five years in accordance with the instructions or order issued by the Central Government). **Note 1:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). **Note 2:** In the case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age-limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.	**Essential:** Master's degree in Chemistry or Agricultural Chemistry or Soil Science from a recognised University. **Note:** Qualifications are relaxable at the discretion of Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified. **Desirable :** Two years experience in Ground Water Analysis and Ground Water Chemistry from a recognized Institute or Organistion.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of Probation, if any.
(8)	(9)
Not applicable	Two years for direct recruits

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various method.	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption grade from which promotion or deputation/ absorption is to be made.
(10)	(11)
Direct Recruitment: (Vacancies causes by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from the officers of the Central Government). **Deputation:** Officers under the Central Government (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre/ department; or (ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level-6 in the pay matrix (Rs.35,400) as per the 7th Central Pay	Not applicable

Commission in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direcr recruits under Column 7. **Note 1:** Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. **Note 2:** The maximum age-limit for appointment by deputation (including short, term contract) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of application.	

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group-B Departmental Confirmation Committee consisting of: 1. Chairman, Central Ground Water Board - Chairman 2. Director (Administration), Central Ground Water Board - Member 3. Director or Deputy Secretary concerned in the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation - Member	Consultation with Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment.

[F. No. A-31012/07/2017/CGWB]

A. K. WAHI, Under Secy.

Footnote : The principal rules were published in the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 164 dated the 28th May, 2011.

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 2018

सा.का.नि. 133.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जल संसाधन मंत्रालय, केंद्रीय जल आयोग, स्टाफ कार ड्राईवर (विशेष श्रेणी) समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2011 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का सक्षिप्त नाम जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, केंद्रीय जल आयोग, स्टाफ कार ड्राईवर (विशेष श्रेणी) समूह 'ख' पद, भर्ती (संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. जल संसाधन मंत्रालय, केंद्रीय जल आयोग, स्टाफ कार ड्राईवर (विशेष श्रेणी) समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2011 में,-

I नियम 2, के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर या उससे संलग्न वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।"